सं० सं०–2/नि०–06/2016–503(2)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शेखर चन्द्र वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्राचार्य/सभी अधीक्षक,
चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल।
सभी सिविल सर्जन
सभी निदेशक, विशिष्ट अस्पताल।
सभी उपाधीक्षक
सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सभी संबंधित नव नियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी

पटना, दिनांक :– 12/5/16

विषय :– **नव नियुक्त सामान्य चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक का टेन्योर अवधि समाप्ति के उपरान्त योगदान करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग से सामान्य चिकित्सक एवं विभिन्न विधा के विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है। इनमें से जेनरल सर्जन (विशेषज्ञ चिकित्सक) का पदस्थापन किया जा चुका है एवं शेष चिकित्सकों का पदस्थापन किया जा रहा है।

2– इन अनुशंसित चिकित्सकों में ऐसे भी चिकित्सक हैं, जो बिहार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों या बाहर के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संस्थानों में विभिन्न पदों पर टेन्योर अवधि के लिए संविदा पर कार्यरत हैं तथा उनका पदस्थापन विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में किया गया है।

3– ऐसे सभी चिकित्सक बचे हुए टेन्योर अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपने पदस्थापित संस्थान में योगदान देंगे।

4– संबंधित चिकित्सक इस आशय की सूचना अपने पदस्थापित संस्थान के कार्यालय प्रधान तथा विभाग को स्पीड पोस्ट के माध्यम से देंगे कि उनका टेन्योर अवधि कब समाप्त हो रहा है और वे कब पदस्थापित संस्थान में योगदान देंगे।

विश्वासभाजन,

(शेखर चन्द्र वर्मा) 12/5/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या–2/नियुक्ति–06/2016–503(2)/ पटना, दिनांक– 12/5/16

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/ नव नियुक्त सभी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/5/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

D/Vimal/C.S.Prasad/Letter